माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्र.क्र. /2018 निगरानी

निगरानी-2573/2018/उज्जैन/भू.रा.

चंदनमल पिता प्यारचन्द संघवी, उम्र 63 वर्ष, व्यवसाय व्यापार निवासी 242, जवाहर मार्ग नागदा जिला उज्जैन —— आवेदक

विरूद्ध

1. राहुल जैन पिता विनोद जैन
   निवासी आर्य समाज मंदिर के सामने नागदा
2. म.प्र. शासन द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय नागदा
3. तहसीलदार महोदय तहसील नागदा

—— अनावेदकगण

केस्य उज्जैन पर अभिभाषक श्री रमेश ... 2018 द्वारा प्रस्तुत 19/4/18

cf- 20/4/18

R. ... 9827305030

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

माननीय महोदय,

अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महोदय उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 0/17–18 अपील आदेश दिनांक 17–04–2018 से असंतुष्ट व दुंखी होकर यह निगरानी अंदर अवधि प्रस्तुत है :–

निगरानी के तथ्य

यह कि, आवेदक एवं अन्य सहकृषक के नाम स्थित ग्राम पाडल्या कला हल्का नंबर 23 तहसील नागदा में सर्वे नंबर 1389/1 रकबा 2.081 एवं सर्वे नंबर 1390/3, रकबा 2.916 हेक्टर व सर्वे नंबर 1476 रकबा 1.129 हेक्टर सर्वे नंबर 1480 रकबा 1.850 हेक्टर कुल रकबा 7.976 हेक्टर आवेदक एवं अन्य सहकृषक मानसिंह आदि के नाम से सामलाती खाता वर्ष 2007–08 में स्थित था। जिसकी ऋण पुस्तिका भी आवेदक के पास है। आवेदक एवं अन्य सहकृषक का उपरोक्त भूमि का बंटवारा हेतु आवेदक ने आवेदन पत्र दिनांक 31–7–2012 को धारा 178 म.प्र.भू.रा.सं. के अन्तर्गत बंटवारा हेतु प्रस्तुत किया

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2573/2018/उज्जैन/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4/7/18	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं अपर आयुक्त के आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया। आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि अपर आयुक्त द्वारा अपील ग्राह्य कर स्थगन आवेदन निरस्त किया गया है। स्थगन देना या ना देना न्यायालय का विवेकाधिकार है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में प्रथम दृष्टया कोई न्यायिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है, जिसमें हस्तक्षेप किए जाने का कोई औचित्य नहीं है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा ऐसे कोई आधार प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, जिस कारण निगरानी ग्राह्य की जा सके। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य** (3)	